भोजशाला विवाद : सभी पक्षों को सर्वे की वीडियोग्राफी देने के आदेश

- हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल तय की डेडलाइन
- 98 दिन के सर्वे के वीडियो साक्ष्य पर होगी बहस
- मुस्लिम पक्ष ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल

नव भारत न्यूज

इंदौर. धार की भोजशाला को लेकर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए हैं कि 98 दिन तक चले सर्वे की पूरी वीडियोग्राफी 27 अप्रैल तक मुस्लिम पक्ष सहित सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि वीडियो साक्ष्यों के आधार पर पक्षकार अपने तर्क रख सकें।

हाईकोर्ट इंदौर में चल रही सुनवाई के दौरान यह आदेश उस समय आया, जब मामले में टाइटल विवाद, साक्ष्यों की वैधता और याचिका की सुनवाई योग्यता जैसे कानूनी बिंदुओं पर बहस जारी है. धार भोजशाला परिसर के अधिकार को लेकर कमाल मौला वेलफेयर ट्रस्ट की याचिका पर डबल बेंच सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने तर्क रखे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले में दिए गए फैसले के सिद्धांतों का हवाला देते हुए एएसआई रिपोर्ट और साक्ष्यों के मूल्यांकन पर जोर दिया.

मामले में एडवोकेट नूर मोहम्मद शेख ने बताया कि फिलहाल बहस का फोकस टाइटल विवाद और एविडेंस की वैधता पर है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सिद्धांत इस केस में भी लागू होते हैं और एएसआई रिपोर्ट की स्वीकार्यता अहम मुद्दा बनी हुई है. इधर, मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता अब्दुल समद ने सर्वे प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

मुस्लिम पक्ष के अवशेषों की अनदेखी का आरोप

एडवोकेट शेख का कहना है कि खुदाई के दौरान कुछ जगहों पर ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे संरचना को नुकसान पहुंचा. साथ ही कुछ अवशेषों को एकतरफा तरीके से रिकॉर्ड में शामिल किया. समद ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष से जुड़े अवशेषों की अनदेखी की गई, जबकि खुदाई में हिंदू, मुस्लिम, जैन और बौद्ध सभी पक्षों से संबंधित अवशेष मिले थे. उनका कहना है कि पूरी वीडियोग्राफी मिलने के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और कोर्ट में उनकी आपत्तियों को मजबूती मिलेगी. मामले में सुनवाई जारी रहेगी और सभी पक्ष अब वीडियो साक्ष्यों के आधार पर अपनी दलीलें पेश करेंगे.

मालेगांव ब्लॉस्ट मामला : हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, ट्रॉयल पर लगाई रोक

- महू व देपालपुर के चार आरोपियों को मिली राहत
- कोर्ट बोला... ठोस सबूत के बिना केस चलाना संभव नहीं

नव भारत न्यूज

इंदौर. 2006 के मालेगांव ब्लॉस्ट केस में बड़ा कानूनी मोड़ आया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट में चल रहे ट्रॉयल पर रोक लगा दी है. इस आदेश से महू के लोकेश शर्मा, देपालपुर के राजेंद्र चौधरी सहित धनसिंह और मनोहर नरवरिया को बड़ी राहत मिली है, मामला फिलहाल विचाराधीन है.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कौशिक म्हात्रे ने दलील दी कि केस में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और आरोप मुख्य रूप से स्वामी असीमानंद के बयान पर आधारित हैं. बचाव पक्ष के अनुसार यह बयान बाद में वापस लिया गया और इसे दबाव में दिया बताया गया, ऐसे में इस आधार पर आरोप तय करना उचित नहीं है. अदालत ने इन तर्कों पर विचार करते हुए फिलहाल ट्रायल पर रोक लगा दी और टिप्पणी की कि बिना ठोस साक्ष्यों के केस चलाना संभव नहीं है. यह आदेश अंतरिम राहत के रूप में माना जा रहा है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी बाकी है.

यह है पूरा मामला...

मामला 8 सितंबर 2006 का है. इस दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में सिलसिलेवार चार बम धमाके हुए थे. तीन धमाके हमीदिया मस्जिद और बड़े कब्रिस्तान परिसर में जुमे की नमाज के बाद हुए, जबकि चौथा मुशावरत चौक पर हुआ. इस हमले में 31 लोगों की मौत हुई और करीब 312 लोग घायल हुए थे. शुरुआती जांच में एटीएस ने 9 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें 2016 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. इसके बाद जांच पहले सीबीआई और फिर एनआईए को सौंपी गई. एनआईए के अनुसार बाद की जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर चारों आरोपियों को नामजद किया गया.

दरअसल, मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी और दिवंगत सुनील जोशी समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी. एजेंसी के अनुसार 2010 में दिए गए असीमानंद के बयान में छह लोगों की संलिप्तता बताई गई थी, हालांकि बाद में बयान बदलने से इस पर विवाद बना हुआ है. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क रखा कि लोकेश शर्मा और राजेंद्र चौधरी को वर्ष 2013 में गिरफ्तार किया था और वे करीब छह साल तक जेल में रहे. वर्ष 2019 में जमानत देते समय भी हाईकोर्ट ने लंबी अवधि तक बिना ट्रायल जेल में रखने पर सवाल उठाए थे. वहीं सितंबर 2025 में स्पेशल कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. वर्तमान में ट्रायल पर रोक है और मामले की अगली सुनवाई होना बाकी है.

दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भपात की अनुमति

- हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को दिए निर्देश

नव भारत न्यूज

इंदौर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दुष्कर्म से गर्भवती हुई नाबालिग को गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में निचली अदालतें खुद कानून के तहत फैसला लें, पीड़िताओं को हाईकोर्ट तक आने के लिए मजबूर न होना पड़े.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि विशेष पॉक्सो कोर्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट और निर्धारित एसओपी का पालन करते हुए गर्भपात की अनुमति दे सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता और उसकी मां को निचली अदालत से राहत न मिलने के कारण हाईकोर्ट आना पड़ा, जो चिंताजनक है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि गर्भपात की प्रक्रिया पहले ही संवेदनशील होती है, ऐसे में बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने से पीड़िता पर अतिरिक्त मानसिक और आर्थिक बोझ पड़ता है. इसलिए निचली अदालतों और डॉक्टरों को ऐसे मामलों में समय पर और कानून के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए. मामले में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अहम रही, जिसमें 14 सप्ताह की गर्भावस्था बताई गई और अभिभावक की सहमति से सुरक्षित गर्भपात संभव बताया. इसके आधार पर हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी.

यह है पूरा मामला...

रतलाम जिले में जनवरी 2022 में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था. आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, घटना के बाद बालिका गर्भवती हो गई. पीड़िता की मां ने विशेष पॉक्सो कोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी, लेकिन क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया था, इसके बाद मां ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की. याचिका में निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई. सुनवाई के बाद 1 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए न केवल पीड़िता के गर्भपात की अनुमति दे दी, बल्कि निचली अदालतों को भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए. कानून के तहत नाबालिग के मामले में अभिभावक की सहमति जरूरी होती है. संशोधित प्रावधानों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है.

एक नजर में

ऑटो डील से टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर हो गया फरार

इंदौर. टेस्ट ड्राइव के नाम पर कार चोरी का मामला सामने आया है. खजराना क्षेत्र स्थित एक ऑटो डील से एक व्यक्ति कार लेकर फरार हो गया. आरोपी की पहचान कर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. लिंक रोड खजराना चौराहे पर एहसान खान की दिल्ली मोटर्स नाम से ऑटो डील है. पिछले दिनों एक युवक यहां पहुंचा, उस समय मालिक मौजूद नहीं थे, दुकान पर काम करने वाला कर्मचारी था. युवक ने एक कार पसंद की और पहले टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर गया. कुछ देर बाद वह कार लेकर वापस आया और कर्मचारी से कहा कि उसे गाड़ी पसंद है, इसलिए वह लंबी टेस्ट ड्राइव लेना चाहता है. कर्मचारी ने मना करते हुए कहा कि मालिक के आने पर ही गाड़ी दी जा सकेगी. इसी दौरान कर्मचारी अंदर गया, तभी आरोपी मौके का फायदा उठाकर कार लेकर भाग निकला. बाद में जांच में उसकी पहचान प्रकाश नायक निवासी मनासा (नीमच) के रूप में हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

कांग्रेस के अजहर नूर और मुदस्सर खान जिलाबदर

महू. पार्टी बदलकर चर्चा में आए कांग्रेस नेता विकास यादव के साथी एवं शहर मंत्री कांग्रेस अमित अग्रवाल के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सेवादल नेता योगेश यादव एवं सदाशिव यादव की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले पत्ती बाजार निवासी अजहर नूर और खान कॉलोनी निवासी मुदस्सर खान को गंभीर आपराधिक रिकॉर्डों के चलते छह महीने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिलाबदर कर दिया गया है.

समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों का सम्मान

इंदौर. मनीषा यादव द्वारा संचालित प्रदेश का पहला महिलाओं का राक म्युजिकल बैंड द्वारा जाल ऑडिटोरियम में आयोजित शानदार गीत संगीत के कार्यक्रम में लायन साधना सोडानी पीडीजी, वरिष्ठ समाजसेवी लायन दिनेश रणधर, ला. दीपक जाजोदिया, ला. अशोक गुप्ता व अन्य समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों का सैकड़ो संगीत प्रेमियों की उपस्थिति में माला व दुपट्टे से सम्मान किया गया.

महू-घाटा बिल्लौद मार्ग का जर्जर पुल बना मुसीबत, यातायात बंद

महू. महू-घाटा बिल्लौद मार्ग पर स्थित महूगांव का पुल जर्जर हो जाने के कारण जिला प्रशासन ने इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किए गए निरीक्षण में पुल की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी. उल्लेखनीय है कि यह मार्ग पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं इन्दौर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां भारी एवं यात्री वाहनों का नियमित आवागमन होता है. मार्ग बंद किए जाने के बाद यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं लागू की हैं. सिमरोल की ओर से महू-पीथमपुर आने वाले भारी वाहनों को तेजाजी नगर की ओर डायवर्ट किया गया है, जबकि पीथमपुर से महू-सिमरोल की दिशा में जाने वाले भारी वाहनों को एबी रोड होते हुए भेजा जा रहा है. इसके अतिरिक्त छोटे वाहनों के लिए समीप ही एक अस्थायी वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है. जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और प्रशासन का सहयोग करें. पुल के नवनिर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने की जानकारी दी गई है तथा इसे वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

पिस्टल-कारतूस के साथ पकड़ाया युवक

इंदौर. सदर बाजार पुलिस ने किला मैदान क्षेत्र में एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से एक काली पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. पुलिस के मुताबिक, 22 अप्रैल की रात करीब 9.05 से 9.10 बजे के बीच सरकारी स्कूल किला मैदान के पास कार्रवाई की गई. यहां दीपक चचौलिया उम्र 26 साल निवासी भागीरथपुरा को पकड़ा गया. तलाशी में उसके पास बिना लाइसेंस की पिस्टल और एक जिंदा कारतूस मिला. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि हथियार कहां से लाया और किस उद्देश्य से रखा था.

लॉरेंस गैंग धमकी केस में 4 दिन का और रिमांड मिला

- इंदौर कनेक्शन की जांच तेज

नव भारत न्यूज

इंदौर. बिल्डरों और व्यापारियों को लॉरेंस गैंग के नाम पर मिल रही धमकियों के मामले में क्राइम ब्रांच ने दूसरी बार गैंग के एक और गुर्गे को जेल से रिमांड पर लिया है. आरोपी से पूछताछ कर शहर में गैंग के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बिल्डर संजय जैन को कुछ माह पहले लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी मिली थी. इस केस में पहले अशोकनगर जेल में बंद मनीष जांगिड़ को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी. अब विवेक दम्मानी को मिली धमकी के मामले में क्राइम ब्रांच ने खरगोन जेल में बंद राजपाल चंद्रावत को रिमांड पर लिया है. पुलिस के अनुसार राजपाल गैंग से जुड़े लोगों की भर्ती करता था और उस पर खरगोन में एक कॉटन व्यापारी के घर फायरिंग करवाने का आरोप भी है.

इंदौर में धमकी देने की साजिश में उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है. डीसीपी क्राइम राजेशकुमार त्रिपाठी का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए चार दिन का और रिमांड लिया है. पुलिस का फोकस यह पता लगाने पर है कि इंदौर में धमकी के मामलों के पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हैं और गैंग का नेटवर्क कैसे काम कर रहा है.

शहर में 8 स्थानों पर लगी आग, कोई जनहानि नहीं

- स्कीम 78 और बाणगंगा में दुकानें जलीं, फ्लैट में धुआं फैला

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में बढ़ते तापमान के बीच देर रात से सुबह तक अलग-अलग क्षेत्रों में आग लगने की 8 घटनाएं सामने आईं. स्कीम 78 में पूजन सामग्री की दुकान और बाणगंगा में बैटरी दुकान जलकर खाक हो गई, जबकि नेहरू नगर के फ्लैट में धुआं फैलने से अफर- तफरी मच गई. सभी जगह फायर ब्रिग्रेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, कहीं भी कोई जनहानि नहीं हुई.

फायर ब्रिग्रेड से मिली जानकारी के अनुसार, स्कीम 78 पानी टंकी के पास स्थित सांईनाथ फूल भंडार में रात करीब 2 बजे आग लग गई. दुकान संचालक शिवानी पिता सुरेंद्र पाठक की यह दुकान देखते ही देखते पूरी तरह जल गई. प्रारंभिक जांच में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी को आग का कारण माना जा रहा है. वहीं सुबह करीब 4 बजे बाणगंगा की वृंदावन कॉलोनी में रंजन पिता रमाशंकर की बैटरी दुकान में आग लगी. शॉर्ट सर्किट के चलते बैटरियां धमाके के साथ फटने लगीं. आग में बैटरियों के अलावा लैपटॉप, चार्जर और अन्य मशीनें जल गईं. फायर ब्रिगेड ने 15 हजार लीटर पानी और 5 हजार लीटर फोम से आग पर काबू पाया.

वहीं, बंगाली चौराहा क्षेत्र में रात 3 बजे एक अन्य दुकान में आग लगी, मौके पर कोई नहीं मिलने से नुकसान का आकलन नहीं हो सका. वहीं 60 फीट रोड पल्हर नगर में पंक्चर दुकान में आग लगने से टायर और सामान जल गया. दमकलकर्मियों ने करीब 4 से 5 हजार लीटर पानी से आग बुझाई. इसी तरह देर रात नेहरू नगर स्थित अमृतधाम गेट के पास एक फ्लैट में आग की सूचना मिली. जांच में सामने आया कि नीचे कचरे में आग लगी थी, जिसका धुआं ऊपर तक पहुंच गया था. फ्लैट में मौजूद महिला और बच्चा समय रहते बाहर निकल आए. कुछ देर तक क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

पिकअप में ठूंसकर ले जाए जा रहे चार बछड़े जब्त, 3 आरोपी पकड़े

- चारा-पानी बिना, क्रूरता से कर रहे थे पशुओं का परिवहन
- पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में दर्ज किया केस

इंदौर. तिलकनगर पुलिस ने चमेली पार्क क्षेत्र में कार्रवाई कर पिकअप वाहन में ठूंसकर ले जाए जा रहे चार बछड़ों को छुड़ाया है. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

पुलिस के मुताबिक, एसेटिया होटल के पीछे चमेली पार्क में एक लीलेंड महेन्द्रा पिकअप नम्बर एमपी 09 एपी 6023) को रोका. वाहन की जांच में चारों बछड़ों को बेहद संकरे स्थान में ठूंसकर भरा हुआ पाया. उनके लिए चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ था. मामले में पवन यादव उम्र 27 साल निवासी बड़ी ग्वालटोली, राजा धीमान उम्र 30 साल निवासी बड़ी ग्वालटोली और चेतन चौहान उम्र 39 साल निवासी कनाड़िया को गिरफ्तार किया है. तीनों के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

बॉयफ्रेंड को आखिरी मैसेज कर युवती ने लगाई फांसी

इंदौर. परदेशीपुरा में 21 वर्षीय युवती ने बॉयफ्रेंड को... अब तुम खुश रहना... मैसेज भेजकर फांसी लगा ली. जनता क्वार्टर में रहने वाली नम्रता ने बुधवार देर रात कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने झांककर देखा तो वह लटकी मिली. उसे एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जांच में सामने आया कि सुसाइड से पहले युवती ने अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल किया था, रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर मैसेज भेजा. पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

लसूड़िया में ढाबा कर्मचारी हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली

- एक हफ्ते बाद भी नहीं मिला सीसीटीवी फुटेज या अन्य कोई सुराग

नव भारत न्यूज

इंदौर. लसूड़िया क्षेत्र में ढाबा कर्मचारी की हत्या के मामले में एक सप्ताह बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है. घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं होने से जांच उलझ गई है.

करीब एक सप्ताह पहले स्कीम नंबर 136 के एक पार्क गेट के पास पुलिस को एक व्यक्ति की लाश मिली थी, उसका सिर पत्थर से कुचला हुआ था, जेब में मिली चिट्ठी के आधार पर उसकी पहचान 51 वर्षीय कड़वाजी दागौंड निवासी कबीटखेड़ी के रूप में हुई. मामले में हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन घटनास्थल के आसपास कोई कैमरा नहीं मिला. इससे जांच को दिशा नहीं मिल पा रही है. पुलिस अब मुखबिरों के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इलाके में संदिग्ध रूप से घूमने वाले कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि हत्या किसी तात्कालिक विवाद में की गई है और इसमें दो लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. मामले में अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए सभी पहलुओं पर जांच जारी है.

पीडब्ल्यूडी रिश्वत कांड : 3 अफसरों के वॉइस सैंपल भोपाल एफएसएल को भेजे

- ढाई लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए थे तीनों अधिकारी

नव भारत न्यूज

इंदौर. पिछले दिनों ढाई लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए पीडब्ल्यूडी के तीन अधिकारियों के वॉइस सैंपल लोकायुक्त पुलिस ने लेकर जांच के लिए भोपाल की एफएसएल लैब भेजे हैं. रिकॉर्डिंग से मिलान कर आवाज की पुष्टि की जाएगी.

ज्ञात हो, सड़क निर्माण कार्य का अंतिम बिल पास करने के बदले धार के ठेकेदार राजपाल सिंह से साढ़े तीन लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने कार्यपालन यंत्री जयदेव गौतम, टीके जैन और उपयंत्री आशु दुबे को ट्रैप किया था. कार्रवाई के दौरान दो अधिकारियों ने रिश्वत की रकम ले ली, जबकि तीसरे ने रकम कम बताते हुए लेने से मना कर दिया था. ट्रैप के बाद तीनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन उससे पहले उनके वॉइस सैंपल ले लिए गए थे.

पुलिस का कहना है कि रिश्वत मांगने के दौरान की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग से इन सैंपल का मिलान कराया जाएगा. इसके लिए सैंपल भोपाल की फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे हैं. लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक, रिकॉर्डिंग और वॉइस मैचिंग रिपोर्ट केस में अहम साक्ष्य होगी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी में पहले भी इस तरह की सीरियल ट्रैप कार्रवाई हो चुकी है. उस मामले में भी इंजीनियरों को रिश्वत लेते पकड़ा गया था और बाद में जांच के आधार पर अन्य आरोपियों को भी केस में शामिल किया था.

एक नजर में | पार्षद कार्यालय से जोन और जोन से मुख्यालय तक के चक्कर काट-काटकर हताश-निराश हो गए बुजुर्ग

हजारों बुजुर्गों की पेंशन रुकी, यहां-वहां भटक रहे हितग्राही

इंदौर. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्गों में से हजारों बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है. इंदौर नगर निगम द्वारा ई-केवाईसी नहीं करने के कारण इन बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है. जबकि पार्षद और अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं. बहुत से बुजुर्ग अपनी पेंशन की राशि नहीं आने के कारण कभी नगर निगम के जोनल कार्यालय तो कभी पार्षद के कार्यालय पर चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं.

ऐसे बहुत से बुजुर्ग नगर निगम मुख्यालय तक भी पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें यह जवाब देने की स्थिति में नहीं रहता है कि आखिर उनकी पेंशन की राशि उनके खाते में क्यों नहीं आ रही है. पार्षद के कार्यालय से इन बुजुर्गों को यह कहकर रवाना कर दिया जाता है कि जोनल कार्यालय पर जाकर मालूम करो कि पेंशन कैसे रुक गई? जब बुजुर्ग जोनल कार्यालय पर पहुंचते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि मुख्यालय पर जाकर मालूम करो कि पेंशन क्यों रुकी है? यह बुजुर्ग जब मुख्यालय पर जाते हैं तो वहां पर उन्हें जवाब देने वाला कोई नहीं होता है.

पेंशन को लेकर पूरे शहर के हितग्राही परेशान हैं. इसी तरह खजराना क्षेत्र के सिकंदराबाद कॉलोनी में भी वृद्धा पेंशन योजना की जमीनी हकीकत चिंताजनक नजर आ रही है. क्षेत्र में 61 से 80 वर्ष आयु वर्ग के कई बुजुर्ग ऐसे हैं, जिन्हें आज तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है, वहीं कुछ हितग्राहियों की पेंशन बिना किसी स्पष्ट कारण के बंद कर दी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जानकारी के अभाव और प्रक्रियाओं की जटिलता के चलते कई पात्र बुजुर्ग योजना से वंचित हैं. कई बार आवेदन और दस्तावेज जमा करने ओर ई-केवायसी कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है. बुजुर्गों का आरोप है कि संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं. क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि सर्वे कर सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाया जाए और बंद पेंशन को जल्द शुरू किया जाए.

यह बोले पेंशन हितग्राही...

मैं 78 वर्ष का हूं. एक साल पेंशन मिली और एक वर्ष से पेंशन बंद है. सारे कागजात एक बार फिर पानी की टंकी पर जमा करके आया हूं, चक्कर लगा-लगाकर थक गया हूं. सब टालने का काम कर रहे हैं.

- अलाउद्दीन खान

मैं 65 वर्ष का हो चुका हूं, पढ़ा-लिखा नहीं हूं, जिसके चलते मुझे इसकी प्रक्रिया नहीं पता. अधिकारी भी नहीं बताते, अगर क्षेत्रीय पार्षद सहयोग करें तो मैं भी पेंशन का लाभ ले सकता हूं.

-अब्दुल कय्यूम अंसारी

मुझे 600 रुपए पेंशन मिलती है. थोड़ा बहुत हाथ खर्चा मिल जाता है, कुछ जरूरतें पूरी हो जाती है. सरकार से निवेदन है कि जिन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली उन्हें भी इसका लाभ दिया जाए.

- बाबू खां